भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल भर्ती बोर्ड

सीईएन-03/2018

सीबीटी-1 और सीबीटी-2 के प्रश्नों पर वैध आपत्तियों के लिए शुल्क की वापसी

1. सीईएन-03/2018 के सीबीटी-1 और सीबीटी-2 में संदिग्ध/गलत प्रश्नों के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज करने हेतु अभ्यर्थियों को सक्षम बनाने के लिए, विभिन्न आरआरबी की वेबसाइटों में लिंक प्रदान किए गए थे।
   - सीबीटी-1 के लिए 11-07-2019 से 14-07-2019 तक और
   - सीबीटी-2 के लिए 26-09-2019 से 29-09-2019 तक।

2. इसके लिए अभ्यर्थियों से प्रति प्रश्न 50/- (पचास रुपये) का शुल्क लिया गया था। इसके बाद, जिन अभ्यर्थियों की आपत्तियां वैध पाई गईं, वे लागू होने वाले बैंकिंग/सेवा शुल्क की देय कटौती के बाद उनके द्वारा भुगतान किए गई आपत्ति शुल्क की आंशिक धनवापसी प्राप्ति के हकदार हैं।

3. तथापि, तकनीकी कारणों से (ऑनलाइन भुगतान के विभिन्न तरीकों से संबंधित), बैंक ऑनलाइन भुगतान के उन्हीं तरीकों से धनवापसी का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों (जिनकी आपत्तियां सही पाई गईं) को एतद्द्वारा नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है:

   क) आंशिक धनवापसी के लिए लिंक https://www.recruitapp.in/rrbje_obj_refund/

   ख) आवश्यक विवरण:
      - i) नाम (आवेदन के अनुसार):
      - ii) पंजीकरण संख्या:
      - iii) रोल नंबर:
      - iv) बैंक खाता संख्या:
      - v) बैंक आईएफएससी:
      - vi) बैंक का नाम:
      - vii) बैंक खाताधारक का नाम:

4. दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 21/03/2022.

ध्यान दें:

क) अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी गलत, अधूरी या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने पर कोई धनवापसी स्वीकार्य नहीं होगी।

ख) प्रति बैंक खाते में केवल एक आंशिक धनवापसी की अनुमति होगी (अर्थात, प्रति एक बैंक खाते में केवल एक अभार्थी)।

ग) संबंधित अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से आंशिक धनवापसी के लिए लिंक भी साझा किया जा रहा है।

अध्यक्ष

दिनांक: 04.03.2022 रेल भर्ती बोर्ड